हुक्म की कार्यवाही मय इनिशयल जज		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
29/11/202[illegible]	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर बहस के लिए समय चाहा है, जो दिया गया, प्रकरण वास्ते बहस आवेदन तारीख 12/01/23 को पेश करें। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO),बाड़मेर	
12/01/2023	पत्रावली आज पेश हुई।। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रतिवादीगण 1 से 7 व 9 से 11 तथा 20 से 25 की ओर पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 04.03.2021 अंतगर्त आदेश 7 नियम 11 सपठित 01 नियम 09 सीपीसी वास्ते वास्ते वाद पत्र खारिज करने बाबत् पर उभय पक्षो की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध हस्तगत राजस्व वाद अंतर्गत धारा 183, 188 आर.टी.ए. का पेश किया जिसमें प्रतिवादीगण के द्वारा वादी की भूमि खसरा संख्या 770/865, खसरा संख्या 1081/770 रकबा 1.18, 62.14 बीघा की भूमि में सेढो पर अतिक्रमण करने का कथन किया है जो मिथ्या है। वादी द्वारा वादपत्र संख्या 3 में अपने खेत खसरान की नेखबंदी करना बताया गया जो नेखबंदी आवेदन संख्या 86/2016 निणर्य दिनांक 23.02.2018 की पालन में मौका फर्द दिनांक 16.07.2018 को तैयार होनो बताया है जिसमें प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा बरंग आसमानी रंग का होना दर्शित किया है उक्त आवेदन की सम्पूर्ण कार्यवाहीं में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 व 22 से 24 को वादी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है ऐसी दशा में उक्त नेखबंदी पालना रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध हस्तगत कब्जा लेने का उक्त वाद पेश करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है। वादी के नेखबंदी आवेदन संख्या 86/2016 निणर्य दिनांक 23.01.2018 के विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1,2, 6 से 11 एंव 23 द्वारा श्रीमान संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष अपील संख्या 111/2018 एंव स्थगत आवेदन संख्या 43/2018 बअनवान लुम्भाराम बनाम कुम्भाराम पेश कर रखी है जिसमें दिनांक 23.07.2018 को उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा आवेदन संख्या 86/2016 निर्णय दिनांक 23.01.2018 पर अग्रिम आदेशो तक स्थगन आदेश जारी कर रखा है जो आदिनांक तक प्रभावी हैं।। अतः उक्त नेखबंदी की पालना में तैयार	
(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर		

मौका फर्द के आधार पर अपीलीय न्यायालय के द्वारा जारी स्थगन होने से उक्त हस्तगत वादपत्र की कार्यवाहीं चलने योग्य नहीं है।

अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में कहा कि वादी द्वारा उक्त वाद में प्रतिवादीगण को पक्षकार बनाया गया है, वादी द्वारा अपने संपूर्ण खेत खसरा नम्बर 770/865 रकबा 01.18 बीघा, खसरा नम्बर 1081/770 रकबा 62.14 बीघा का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है, जो वाद चलने योग्य है। वादी को वाद का वाद हेतूक उत्पन्न होता है क्योंकि जब जब वादी की भूमि पर अतिक्रमण किया तब तब वादी अपनी भूमि को खाली करने के लिए कहता रहा तब तब वाद का करण उत्पन्न हुआ। दिनांक 16.07.2018 को हल्का पटवारी, आर. आई. व तहसीलदार द्वारा मौके पर आकर पक्षकारान को समुचित सूचना देकर फर्द मौका तैयार कर हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान करवाये तथा जो नहीं करना चाहते थें, उनको जबरदस्ती से फर्द पर हस्ताक्षर नहीं करवाये जा सकते, कुछ पक्षकारान द्वारा हस्ताक्षर या अगुष्ठ जानबूज कर करने से मना कर दिया। प्रतिवादीगण जानबूझ कर प्रकरण को लम्बा करने व वादी की भूमि हड़पने के लिये मनगढत व बेबुनियाद तथ्यों पर आवेदन पेश किया है लिहाजा आवेदन खारिज फरमाया जावें।

हमने आवेदन का अवलोकन किया, प्रतिवादीगण के जवाबदावे एंव वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के जवाब का गंभीरतापूर्ण अध्ययन किया, उक्त नेखबंदी की आवेदन संख्या 86/2016 निर्णय दिनांक 23.01.2018 पर माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर का स्थगन है और उक्त नेखबंदी की पालना में तैयार मौका फर्द के आधार पर वादी द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है अपीलीय न्यायालय के द्वारा जारी स्थगन प्रभावी होने से उक्त हस्तगत वादपत्र की कार्यवाहीं चलने योग्य नहीं है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठत्रि 01 नियम 09 सीपीसी वास्ते वास्ते वाद पत्र खारिज करने का स्वीकार किया जाता है, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर